

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस
गुकदमा न० राजरव प्रकरण 366/2017

प्रार्थीगण :-

1. कुम्भाराम पुत्र उकारामजी
2. वगताराम पुत्र उकारामजी
3. नारायण पुत्र उकारामजी
4. तुलछाराम पुत्र जवारारामजी
5. खंगाराराम पुत्र जवारारामजी
6. मिरगो बेवा जवारारामजी
7. भगाराम गोदपुत्र अनारामजी
8. भीखाराम पुत्र मूलारामजी
9. जोईताराम पुत्र मूलाराम सभी जातियान चौधरी निवासी टापरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. उदाराम पुत्र हरजीराम चौधरी
2. गौतम पुत्र नरसिंगाराम दिसांतरी
3. शान्तिलाल पुत्र नरसिंगाराम दिसांतरी
4. थानाराम पुत्र दौलाराम
5. प्रागाराम पुत्र प्रभूराम
6. सुराराम पुत्र प्रभूराम
7. हडमानाराम पुत्र पेमाराजी सभी जातियान चौधरी
8. डेलकंवर पत्नि दलपतसिंह जाति राजपूत
9. डोली- बनाम. मंदिर (मठ) महादेव जरिये पूजारी / महन्त शम्भुवनजी
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा०भू रा० अधि०
बावत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :- 1. श्री चेलाराम कुमावत

'आदेश'

दिनांक :- 20.12.2017

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम टपारा पटवार क्षेत्र टापरा न० 1109/824 रकबा 5.15 बीघा, खसरा न० 1110/824 रकबा 5.12 बीघा तथा प्रार्थीगण सं 4 ता 6 के खातेदारी के खेत खसरा न० 1087/826 रकबा 11.07 बीघा है तथा खसरा न० 1088/826 रकबा 4.16 बीघा, खसरा न० 1108/870 रकबा 17.10 बीघा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण सं 7 ता 9 के खातेदारी भूमि आई हुई है। उपरोक्त बट्टा न० राजस्व रेकर्ड में खसरा की अलग अलग तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में नहीं बताया है एवं अभी तक राजस्व नक्शे में मूल खसरा न० 826, 870/824 दर्ज है जिस पर खातेदारान एक ही है। विप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेटों को लेकर विवाद करते रहते हैं।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखवन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पैमाईश एवं नेखवन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 21.06.2017 को लंब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 सम्मन बाद तामिल के बावृजद अनुपस्थित अतः उक्त के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखवन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण राजस्व नक्शे में मूल खसरा न० 826, 870/824 मौजा टापरा के विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पैमाईश एवं नेखवन्दी करने हेतु भूमापक भूनिरीक्षक जसोल को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थायी विन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं। भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन किये बिना नेखवन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पैमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू-मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

(मागीरथ राम)

सहायक कलेक्टर,
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्थान सरकार
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) बालोतरा
कमांक/राज/वाद/18 70 दिनांक : 5-2-18

मुकदमा नम्बर - 366/2017

प्रेषित :- भू अभिलेख निरीक्षक, जसोल

प्रार्थीगण


1. कुम्भाराम पुत्र उकारामजी
 2. वगत्ताराम पुत्र उकारामजी
 3. नारायण पुत्र उकारामजी
 4. तुलसाराम पुत्र जवारारामजी
 5. खंगाराराम पुत्र जवारारामजी
 6. मिरगो बेवा जवारारामजी
 7. भगाराम गोद पुत्र अनारामजी
 8. भीखाराम पुत्र मूलारामजी
 9. जोईताराम पुत्र मूलारामजी
- जातियान चौधरी निवासी टापरा

विप्रार्थीगण

1. उदाराम पुत्र हरजीरामजी चौधरी
2. गौतम पुत्र नरसींगाराम जाति दिशान्तरी
3. शान्तीलाल पुत्र नरसींगाराम दिशान्तरी
4. थानाराम पुत्र दौलारामजी जाति चौधरी
5. प्रागाराम पुत्र प्रभूरामजी जाति चौधरी
6. सुराराम पुत्र प्रभूरामजी जाति चौधरी
7. हडमानाराम पुत्र पेमारामजी चौधरी
8. ढेलकंवर पत्नी दलपतसिंह जाति राजपूत
9. डोली बनाम मंदिर (मठ) महादेव जरीये
10. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

R L R ACT 111, 128

उपरोक्त अनवान मुकदमा में आपको मौजा सरहद ग्राम टापरा पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा के मूल खसरा नम्बर 826, 870/824 भूमि की पैमाईश जरीये पत्थरगढी कर सीमाज्ञान करने हेतु भू मापक आयुक्त नियुक्त किया जाता है, उक्त विवादित भूमि की पैमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षों के रूबरू, न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन किये बिना पैमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे।



सहायक कलेक्टर (एस डी ओ)
बालोतरा

कमांक/राज/वाद/18/

दिनांक :

प्रतिलिपि -

- 1- तहसीलदार, पचपदरा को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2- पटवारी हल्का टापरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर (एस डी ओ)
बालोतरा